CGRG010007952025

28.07.2026 आज्ञप्तिधारी द्वारा श्री रघुनाथ साहू अधिवक्ता ।

निर्णितऋणी अनिर्वहित ।

प्रकरण डिक्रीधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन लंबित क्लेम निष्पादन को वापस लेने पर आदेश हेतु नियत है ।

डिक्रीधारीगण की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि डिक्रीधारी द्वारा प्रस्तुत क्लेम निष्पादन आवेदन में त्रुटिवश देनदार क्रमांक 03 बजाज एलियांश जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध निष्पादन प्रकरण पेश किया गया है, किंतु उक्त क्लेम निष्पादन में देनदार क्रमांक 01 रामनाथ साय पिता–रामभवन राय तथा देनदार क्रमांक 02 शुक्ला ट्रांस लॉजिस्टिक को उक्त क्षतिपूर्ति दायित्व देने का भार है । उक्त त्रुटि के कारण आवेदक उक्त आवेदन पर बल नहीं देना चाहते हैं तथा भविष्य में नया क्लेम निष्पादन आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार स्वतंत्र रखते हुए प्रस्तुत क्लेम निष्पादन प्रकरण को न्यायहित में वापस लौटाये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रस्तुत क्लेम निष्पादन प्रकरण का अवलोकन किया गया। आज्ञप्तिधारीगण के पक्ष में निष्पादित आज्ञप्ति का अवलोकन करने से उक्त आवेदन में लिखित कथन उचित

प्रतीत हो रहे हैं । अतः डिक्रीधारीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है । भविष्य में आवेदकगण नया क्लेम निष्पादन आवेदन पेश कर सकते हैं ।

तद्अनुसार क्लेम निष्पादन प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

सही/–

(प्रियंका अग्रवाल)
तृतीय अ०मो०दु०दावा अधिकरण

रायगढ़ (छ.ग.)